राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ दीवानी निगरानी याचिका संख्या–190/2017

1. श्रीमती शोभा शर्मा पत्नी स्वर्गीय मदनलाल
2. कुमारी चेतना शर्मा पुत्री स्वर्गीय मदनलाल
   जातियान–ब्राह्मण, निवासीयान 233, प्रताप कॉलोनी, कुम्हेर गेट, भरतपुर, तहसील व जिला भरतपुर । ———याचीगण/प्रतिवादीगण

—: बनाम :—

1. चन्द्रपाल सिंह पुत्र केशव सिंह
2. भगत सिंह पुत्र केशव सिंह
3. करतार सिंह पुत्र गोपाल
4. हेमेन्द्र सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह
5. नरेन्द्र सिंह पुत्र मुन्शी सिंह
6. सत्येन्द्र पुत्र करतार सिंह
   सभी जातियान जाट, निवासी रोजविला कॉलोनी, सरस चौराहा, भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर ।

—— अयाचीगण/वादीगण

7. सत्यदीप शर्मा पुत्र स्वर्गीय मदनलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी 233, प्रताप कॉलोनी, कुम्हेर गेट, भरतपुर, तहसील व जिला भरतपुर ।
8. अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट भरतपुर जरिए सचिव
9. राजस्थान राज्य जरिए कलेक्टर भरतपुर ।
10. मुनिसिपल कॉर्पोरेशन भरतपुर जरिए कमीश्नर, मुनिसिपल कॉर्पोरेशन भरतपुर ।

——औपचारिक अयाचीगण/ प्रतिवादीगण

आदेश दिनांकः— **01—11—2017**

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

श्री जे.के.मूलचन्दानी, अधिवक्ता याचीगण/प्रतिवादीगण

इस सिविल निगरानी याचिका पर कुछ देर बहस करने के पश्चात् योग्य अधिवक्ता याचीगण/प्रतिवादीगण श्री जे.के.मूलचन्दानी इस निगरानी याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ प्रत्याहृत करने की अनुमति चाही कि पक्षकारों के मध्य चल रहे तीनों वादों को समेकित करने के निर्देश विचारण न्यायालय को दिये जावें।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की प्रार्थना स्वीकार करते हुए यह निगरानी याचिका उनके द्वारा प्रत्याहृत करने के आधार पर इसी अनुसार निरस्त की जाती है । परन्तु प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय सिविल न्यायाधीश भरतपुर को निर्देश दिए जाते हैं कि यदि दीवानी वाद संख्या 197/2015, दीवानी वाद संख्या 206/2015 व दीवानी वाद संख्या 12/2015 को समेकित करने के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र याचीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया जावे तो वे उस प्रार्थना पत्र का निस्तारण विधिनुसार ऐसा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने की तिथि से एक माह में करें ।

(न्या0 प्रकाश गुप्ता)

ऋषिकेश सोनी/56